सारण समाहरणालय, छपरा

(जिला योजना कार्यालय)

आदेश

प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3392 दिनांक – 10.11.2011 एवं ज्ञापांक /2905 दिनांक 11.07.14 के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत माननीय स0वि0प0 श्री सच्चिदानंद राय द्वारा प्रखंडवार/नगरनिकायवार वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुमोदित योजना का प्राक्कलन तैयार कर कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल – 02, सोनपुर के द्वारा योजनावार प्राक्कलित राशि पर तकनीकी अनुमोदन प्रदान की गई है एवं पत्रांक 3266 दिनांक 27.12.2019 एवं पत्रांक 398 दिनांक 07.02.2020 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभि0 संगठन, कार्यप्रमंडल– 02, सोनपुर के द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदन की राशि पर उप विकास आयुक्त, सारण, छपरा के पत्रांक 649 दिनांक 21.03.2020 एवं पत्रांक 694 दिनांक 31.03.2020 द्वारा सात निश्चय के अंतर्गत चयन नहीं है, संबंधी प्राप्त प्रतिवेदन प्रतिवेदन आधार पर निम्नांकित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

कं0	प्रखण्ड	स्वीकृत योजना का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	माननीय विधायक का नाम
1	मॉझी	मॉझी प्रखण्ड अंतर्गत सुधरं छपरा गॉव में अवध किशोर मॉझी के घर से मिथिलेश सिंह के घर तक जाने वाली सड़क में 450 फीट पी0सी0सी0 निर्माण।	468100.00	468100.00	श्री सच्चिदानंद राय
2	सदर	सदर प्रखंड में डुमरी पंचायत के डुमरी गॉव अंतर्गत एन0एच0–19 से विरेन्द्र सिंह के घर तक जाने वाली सड़क में पी0सी0सी0 का निर्माण।	567700.00	567700.00	”
3	एकमा	एकमा प्रखंड अंतर्गत असहनी पंचायत के असहनी में सनीफ मियॉ के घर से त्रिपुरारी तिवारी के घर होते हुए उज्जवल पाण्डेय के घर तक पी0सी0सी0 सड़क का निर्माण।	427500.00	427500.00	”
		कुल योग:–	1463300.00	1463300.00	

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :– (चौदह लाख तिरसठ हजार तीन सौ रुपये मात्र।)

कार्यकारी एजेन्सी का नाम :– कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल– 01, छपरा।

निर्देश एवं शर्ते:–

1. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका 2014 का संकल्प संख्या 2905 दिनांक 11.07.2014 एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3210 यो0 वि0 पटना, दिनांक 22.06.2016 एवं समय समय पर निर्गत विभागीय आदेश के आलोक में योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।
2. योजना का कार्य प्रारंभ करने के समय कार्य स्थल पर योजना से संबंधित सूचना पट अनिवार्य रूप से लगाना सुनिश्चित करेंगे, जिसमे योजना का नाम, मद का नाम, योजना संख्या, प्राक्कलित राशि, एजेंसी का नाम, संवेदक का नाम, कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का नाम तथा योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।
3. प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत योजना के प्राक्कलन में पुनरीक्षण मान्य नहीं होगा। यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर योजना के कार्य को पूर्ण नहीं किया जाता है, तो इसके लिए संबंधित कार्य एजेंसी एवं संबंधित अभियंता व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।

4. योजना में गुणवत्ता का ह्रास किसी भी परिस्थिथि में मान्य नहीं होगा। इसके लिए कनीय अभियंता/सहायक अभियंता मुख्य रूप से जिम्मेवार होंगे।
5. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व कार्य के मध्य में एवं योजना पूर्ण होने के उपरांत 3 (तीन) योजना का फोटोग्राफ्स लेकर उसे योजना के पूर्ण होने के उपरांत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं फाटोग्राफी की प्रति अपने योजना अभिलेख में भी रखेंगे।
6. योजना स्थल पर निरिक्षण पंजी का संधारण अनिवार्य होगा, जिसमें इस योजना के पर्यवेक्षण हेतु प्राधिकृत कनीय अभियंता/सहायक अभियंता एवं समय समय पर निरीक्षण पदाधिकारी अपना मंतव्य के साथ हस्ताक्षर करेंगे।
7. योजना में कार्य प्रारंभ करने के पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित हो लेंगे कि इस योजना में [illegible] पॉच वर्षों के अंतराल में इस योजना पर अन्य किसी मद से काई कार्य नहीं हुआ है तथा [illegible] यह योजना किसी अन्य मद अंतर्गत स्वीकृत नहीं है।
8. किसी भी परिस्थिति में निकटतम दूरी उपलब्धता को छोड़कर दुरस्थ स्त्रोत को आधार [illegible] पर संबंधित अभियंता के विरुद्ध प्रशासनिक एवं विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।
9. योजना का निर्माण सरकारी भूमि पर ही करेंगे। यदि सरकारी भूमि उपल[illegible] तो महामहिम राज्यपाल के नाम से जमीन का निबंधन हो जाने के पश्चात ही योजना का कार्य [illegible]।
10. प्रत्येक माह के 2री तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन वि[illegible]ला योजना कार्यालय, सारण, छपरा को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

सहायक योजना पदाधिकारी
सारण

ज्ञापांक 596 /यो0 दिनांक 17-06-2020

प्रतिलिपिः— कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल −01, [illegible]नार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है, कि उक्त मद में प्रा[illegible]न से योजना का नियमानुसार कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करेगे।

प्रतिलिपिः— सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, सारण प्रमण्डल छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— कोषागार पदाधिकारी, सारण छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई [illegible]

प्रतिलिपिः— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0 आई0 सी0 सारण, छपरा [illegible] एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला के बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित क[illegible]

प्रतिलिपिः— जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय स0वि0प[illegible] प्रेषित।

सहा[illegible]धिकारी